भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2446

उत्तर देने की तारीख- 13/03/2025

तमिलनाडु में जनजातियों के लिए भूमि

2446. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में जनजातियों के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातियों और वन विभागों के बीच जनजातीय भूमि से संबंधित कई विवाद हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में जनजातियों को भूमि प्रदान करने संबंधी स्थायी समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): भूमि और उसका प्रबंधन राज्यों के अनन्य विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है जैसा कि भारत के संविधान (सातवीं अनुसूची- सूची II (राज्य सूची)- प्रविष्टि संख्या (18) के तहत प्रदान किया गया है। इसलिए, तमिलनाडु में आदिवासियों के स्वामित्व वाली जनजातीय भूमि का डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), "अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006" (संक्षेप में एफआरए) के विधायी मामलों को प्रशासित करने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर निर्देश और दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। अधिनियम को 20 राज्यों (तमिलनाडु सहित) और 1 केन्द्र शासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है, जबकि राज्य मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

एफआरए लागू करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (तमिलनाडु सहित) से 28 फरवरी, 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 25,03,453 स्वामित्व पत्र वितरित किए गए हैं, जिनमें 23,85,334 व्यक्तिगत और

1,18,119 सामुदायिक स्वामित्व पत्र शामिल हैं, जो 1,92,42,489.72 एकड़ वन भूमि - व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए 5,070,496.95 एकड़ और सामुदायिक स्वामित्व के लिए 14,171,992.76 एकड़ को कवर करते हैं।

वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए परामर्श (परामर्शियां) जारी किए हैं। इसके अलावा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जैसा कि एफआरए अधिनियम और नियमों के तहत वर्णित है, वन विभाग के साथ किसी भी विवाद सहित सभी क्षेत्र स्तर के मुद्दों को हल कर सकती है। इसके अलावा वन क्षेत्रों में वन अधिकार दावों से संबंधित किसी भी विवाद को हल करने के लिए, एफआरए और इसके नियम दावेदारों को कई सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार हैं:

i. एफ.आर.ए. की धारा 6 (2) में प्रावधान है कि "ग्राम सभा के प्रस्ताव से व्यथित कोई भी व्यक्ति उप-मंडल स्तरीय समिति के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकता है और ऐसी याचिका का निपटारा कर सकता है। बशर्ते कि ऐसी प्रत्येक याचिका ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने की तिथि से साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी: आगे यह भी प्रावधान है कि व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी भी याचिका का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर न दिया गया हो।"
ii. एफआरए की धारा 6 (4) में प्रावधान है कि, "उप-मंडल स्तरीय समिति के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उप-मंडल स्तरीय समिति के निर्णय की तिथि से साठ दिनों के भीतर जिला स्तरीय समिति के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकता है और जिला स्तरीय समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी: बशर्ते कि ग्राम सभा के प्रस्ताव के विरुद्ध जिला स्तरीय समिति के समक्ष सीधे कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जब तक कि उसे उप-मंडल स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत न किया गया हो और उस पर विचार न किया गया हो: आगे यह भी प्रावधान है कि व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी याचिका का निपटारा नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर न दे दिया गया हो"।
iii. वन अधिकार अधिनियम, नियम 10 में प्रावधान है कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति का कार्य राज्य में वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और निहितीकरण की प्रक्रिया की निगरानी करना तथा क्षेत्र स्तर की समस्याओं का समाधान करना होगा।
iv. एफआर नियम 12 (3) में यह प्रावधान है कि, “यदि किसी अन्य गांव की पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावे हैं या यदि एक वन क्षेत्र का उपयोग एक से अधिक ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है, तो संबंधित ग्राम सभाओं की वन अधिकार समितियां ऐसे दावों के उपयोग की प्रकृति पर विचार करने के लिए संयुक्त रूप से बैठक करेंगी और लिखित रूप में संबंधित ग्राम सभाओं को निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगी: बशर्ते कि यदि ग्राम सभाएं परस्पर विरोधी दावों को हल करने में सक्षम नहीं हैं, तो इसे ग्राम सभा द्वारा इसके समाधान के लिए उप-मंडल स्तर की समिति को भेजा जाएगा।”

*****